

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्रालियर

समस्त पत्र क्षमतापूर्वक संग्रहीत जीवाजी
विश्वविद्यालय के बजाए हो जिक्र जाए न
कि किसी भूल घटाहिकारी के ताम से।
उन्नीसवें विषय पत्र यादि पूर्ण में पत्र
व्यवहार दृश्य हो ले पत्र अनुसंधान पर दिनांक
अवश्य लिखा जाये जिससे सुधारा हो।



फ़ाइल : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फ़ॉक्स : (0751) 2341766

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्रालियर
फ़ाक्टुअल/सम्बद्धता/2009/५५५४

दिनांक: 15/02/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्रालियर द्वे सम्बद्ध एम.जी.एम. महाविद्यालय, मुरैबा (07532-231137) को सत्र 2011-12
के लिये प्रस्तावित संचालित बी.डी.ए. द्वितीय वर्ष, एम.ए. (उत्तरार्द्ध-अंग्रेजी साहित्य),
पाठ्यक्रम कक्षा पाठ्यक्रमों विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसार्थ प्रदान करने के लिये आवश्यक कुलपात्री महोदय/स्थायी
समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्रालियर द्वे विश्वविद्यालय अधिविषयम् 1973 के परिविषयम् 27(10) के अन्वगत लिमिटेड सार

निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

- (1) प्रो. डॉ. एम. गोरखामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्रालियर। (संयोजक)
(0751-2442842)
- (2) प्रो. एस.के. द्विवेदी, आचार्य, पुरातत्त्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्रालियर।
- (3) डॉ. आट.जी. गर्ग, उपाचार्य, गवालय एवं सूचना विद्यालय अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्रालियर।
- (4) डॉ. कै.एस. राकुट, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबन्धन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्रालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रतिवेदन 27/28 के प्राप्तानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण करें। धोरेट राशि, तांत्रिक ऐक्षणिक/अंग्रेजीक स्टॉफ़, प्राविष्टि संस्था से प्राप्त अनुरागित/अनुप्रिति प्रमाण-पत्र, भवन, बीड़ा परिवर्त एवं पाठ्यक्रम/आडिजेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्रावार्य/ऐक्षणिक एवं अंग्रेजीक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आविष्कार करें। यथा प्रावार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवार के अन्दर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति अंगोंके द्वारा नियोजित दिनांक में विश्वविद्यालय कार्यालय में जला करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जला करने का उत्तराधिकार नियमित नियीक्षण करें। संयोजक का होगा।

"समिति जन्म का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की अँड देई के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदाती होगा। जिसकी सूचना
आयुक्त, उत्तर विकास, ऐपोल के भेज दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः विरीक्षण को
जारीकी और पुनः विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,00/- जमा करने होंगे। उत्प्रवाह ली विरीक्षण
समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छव्वों को प्रवेश देना अवैधानिक है।"

विरीक्षण समिति के लाय उन्नीसवें शाला में कार्यस्थल अधीक्षक / कार्यालय नहायक प्रशासनी लेकर जारीगे तथा महाविद्यालय की
संस्थानिकारी से विरीक्षण समिति को अनुमति करायें। विरीक्षण समिति के सदस्यों को ई.ए. डी.ए. मानवयोग महाविद्यालय द्वारा देय
होगा।


कुलसचिव

प्रतिवेदन :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सुनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रावार्य/अध्यक्ष, संविधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण
दिनांक विधायित कर विरीक्षण का विरीक्षण करायें। उत्तर विरीक्षण 15 दिनांक के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च विकास, संतपुड़ा भवन, ऐपोल
4. कुलपात्री के सचिव / कुलसचिव की विजी महालक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्रालियर
5. कुलपात्री के सचिव / कुलसचिव की विजी महालक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्रालियर


सहायक कुलसचिव (उन्नीसवें)

जीवाजी विश्वविद्यालय, बळालियर

समर्पण वक्ता बळालियर कुन्दलिये जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किए जाते हैं।
केसीपी अख्यारिकारी के नाम से,
टाइपिस्ट विषय पर यहां पूर्ण में प्रभ
चक्रवाह हुआ हो तो पक्ष क्षमक एवं दिवाक
अध्ययन लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



नाम : कृष्णपटेल
दृष्टिकोण : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फोन : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
बळालियर

क्रमांक:एफ/सम्बन्धता/2009 4614

दिनांक: 22/02/12

// यूचन //

जीवाजी विश्वविद्यालय, बळालियर से सम्बन्ध एम.जी.एन. गहाविद्यालय, नारेंग (07532-231137) को सत्र 2010-11 एवं सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तुति/संवालित बी.एस.-सी. (गणित, लाईफ साइंस, मार्केटिंग) लॉर्सी, आई.टी., बायोटेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस, पी.जी.डी.सी.ए. बी.ए. (इतिहास, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, आ.जा., हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी विषय), बी.कॉम. (सभी अविकार्य विषयकम् इत्याक्षर-एस्टीकेसी-अति. विषय), बी.सी.ए. बी.विव. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों विषयों की अस्थायी सम्बन्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, बळालियर वे विश्वविद्यालय अधिकारियम् 1973 के परिवेद्यम् 27(10) के अवधारणा निम्नानुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. डी.एन. गोप्यार्थी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. बळालियर। (संयोजक) (0751-2442842)

(2) प्रो. एस.के. द्विवेदी, आचार्य, पुण्यतत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि. बळालियर।

(3) डॉ. आर.जी. गर्ग, उपाचार्य, ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि. बळालियर।

(4) डॉ. के.एस. अकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. बळालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अचुरोध है कि वे परिवेद्यम् 27/28 के प्राक्कार्यों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुरू, घटेहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुपत्ति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अवक, ब्रीडा परिलक्षण एवं पाठ्यक्रम-आडिनेंस तथा प्रिष्ठे सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्रों के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं जैक्षणिक स्टॉफ की जिम्मेदारी का प्रमाण एवं उत्तर जाए तो वारे में ट्यूट विवरण/अनुशंसार्णों अनित करें। महाविद्यालय अवार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र पापत द्वेष के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों द्वारा सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेद्य है कि वे उक्त विधिवारि समय में विरीक्षण करें एवं परिवेद्यम् 07 दिवस गृह विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेद्य जमा करने का उत्तराधिकृत विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण ने की गई देवी के हिंदू विश्वविद्यालय स्वयं उत्तरायी होगा। जिसकी यूचन आयुक्त, उच्च विद्या, भोजाल के भेज दी जाएगी। यदि महाविद्यालय 03 मार्च में विरीक्षण बही करता है तो समिति स्वयं उत्तराय द्वारा जमा करेगी और पुनः विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड खरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही विरीक्षण समिति का पुर्बग्रन्थ किया जायेगा। परिवेद्यम् 27(1) (7) के अनुसार सम्बन्धता पापत द्वेष विवेद्य देवा अवैधायिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बन्धता शाझा में कार्यात्मक अधीक्षण / कार्यालय कार्यक्रम विवरणी लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की परस्परियते से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों ने डी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देख होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समर्पण सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यगाठी हेतु।
2. पाचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर अवार्य है कि सूचना के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विधिवारि कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सत्यपुरा भवन, भोजाल
4. कुलाधिकारि, जीवाजी विश्वविद्यालय, बळालियर
5. कुलपति के उचित / कुलसचिव के जिजी सामायक, जीवजी विश्वविद्यालय, बळालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बन्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र लघवार कुलसंचिव निवाली
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व
कि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
लघवार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फ़ैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 5055

दिनांक: 22/6/12

// संशोधित सूचना //


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध एम.जी.एम. महाविद्यालय, मुरैना (07532-231137) को सत्र 12-13 के लिये प्रस्तावित संवालित बी.एस.-सी (गणित, लाईफ साइंस, माईक्रोबायोलॉजी, आई.टी., बायोटेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस), पी.जी.डी.सी.ए. बी.ए. (इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, आ.पा., हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी विषय), बी.कॉम. (सभी अविवार्य विषय (कम्प्यूटर एप्लीकेशन-अति. विषय)), बी.सी.ए. बी.लिब., एम.ए. (समाजशास्त्र, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र एवं अंग्रेजी साहित्य), एवं एम.कॉम. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी लमिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. ए.पी.एस. चौहान, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442842)
- (2) प्रो. बाय.के. जैसवाल, आवार्य, जैव स्तरायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. एस.के. सिंह, उपाचार्य, गणित्य एवं प्रबन्ध अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (4) डॉ. एस.के. गुप्ता, उपाचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (5) प्रो. हेमल शर्मा, आवार्य, पुस्तकालय विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (6) डॉ. ओ.पी. दुष्पौलिया, विभागाध्यक्ष, शा. के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे एरिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, ग्रन्थ, क्रीड़ा परियार एवं पाठ्यक्रम/उडिङ्गेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति भव्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं देवतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करावें। समिति संयोजक से जिवेदन है कि वे उक्त निरीक्षित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति निर्बन्ध का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदाती होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण जर्ही करता है तो समिति रूपतः निरीक्षण को और पुनः निरीक्षण समिति नियम हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्बगठन किया जायेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवादों को प्रवेश देबा अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरित अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुतुर्यति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसंचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसंचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


उप कुलसंचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

मनस्त पत्र अवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से दी किया जाए जा कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम है।
मन्त्रिभित्र विषय पत्र चाहे पूर्ण न हो पक्ष अवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जाए जिससे सुधारा हो।



ग्राहन : बूबीरामेंटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्ट्र : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक/एफ/सम्बद्धता/2009/ 5055

दिनांक: २३/६/१२

// संशोधित सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध एम.जी.एम. महाविद्यालय, गुरेना (07532-231137) को सत्र 2010-11 एवं सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तुति/संचालित बी.ए.सी. (गणित, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, आई.टी., बायोटेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस), ची.जी.डी.सी.ए. बी.ए. (इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, आ.पा., डिन्डी साहित्य, अंग्रेजी विषय), बी.कॉम. (सभी अधिकार्य विषयकम्प्यूटर एलीकेशन-अंति. विषय)), बी.सी.ए. बी.लिब., एम.ए. (समाजशास्त्र एवं हिन्दी), एवं एम.कॉम. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार नियीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर,

(संयोजक)

(0751-2442842)

(2) प्रो. एस.के. द्विवेदी, आचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) डॉ. आर.जी. गर्म, उपाचार्य, गण्यालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(4) डॉ. के.एस. वर्कुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

नियीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष नियीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वाहिस शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, ग्राहिकृत संख्या से प्राप्त अनुगति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति सत्र प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर नियीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर नियीक्षण करावें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त नियांसित समय में नियीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। नियीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधित्र नियीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

"नियीक्षण समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद नियीक्षण में की गई देसी के लिए नहाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। नियीक्षण समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद नियीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः विरुद्ध हो जावेगी और पुक्का नियीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही नियीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विका छान्नों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

नियीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यस्थल अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रबाली लेकर जारीने तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से नियीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। नियीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानवदेव नहाविद्यालय द्वारा देख होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर नियीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का नियीक्षण करावें। उक्त नियीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की अवश्यकता है।
3. अनुकूल उच्च शिक्षा, ललपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

34 कुलसचिव (गम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि किसी अव्य पदाधिकारी के नाम से।
उम्बलियत विषय पर यादे पूर्व ने पत्र
व्यवहार कुंजा हो तो पत्र छानांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सावधा हो।



ग्राम : बूद्धीबहिर्भूती
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/५०५५

दिनांक: २३/६/१२

// संशोधित सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध एम.जी.एम. महाविद्यालय, लौहीना (07532-231137) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.बी.ए. तृतीय वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रम/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. ए.पी.एस. चौहान, आचार्य, राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर; (संयोजक)
(0751-2442836)
- (2) प्रो. सी.पी. शिंदे, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. एस.के. सिंह, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- (4) प्रो. एस.के. गुप्ता, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुपत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/उपर्दिनेल्स तथा ऐसे लक्षण जैसे दी गई शर्तों की पूर्ति नये प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के लाभे में स्थाय निवरण/अनुशंसाएँ ऑफिट दरें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त नियमित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधित्र निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देसी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। नियमी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति खत: विरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण रुपरुप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छार्टों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाला में कार्यकारी अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्राली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वर्तुलियत से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.प. / डी.प. / मानवेतर महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

23/6/12

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबोधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण विवाहांक नियांत्रित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उस निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के बिजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

R
उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)